<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112022-240138 CG-DL-E-09112022-240138

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 545] No. 545] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 2022/ कार्तिक 18, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2022/ KARTIKA 18, 1944

## केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2022

**फा. सं. एल–1/260/2021/केविविआ**.—चूंकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2022 को दिनांक 22.03.2022 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग—III, धारा 4, सं. 147 में प्रकाशित किया गया था,

चूंकि, उक्त विनियमों के विनियम 1 के खंड (2) में उपबंध है कि ये विनियम आयोग द्वारा पृथक रूप से अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रवृत्त होंगे।

और, अब, अतएव, यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2022 दिनांक 05.12.2022 से प्रवृत्त होंगे।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव [विज्ञापन-III/4/असा./368/2022-23]

7423 GI/2022 (1)

## CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2022

**F. No. L-1/260/2021/CERC.**—Whereas the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2022 were published in Part-III, Section 4, No. 147 of the Gazette of India Extraordinary on 22.03.2022,

Whereas, the Clause (2) of Regulations 1 of the said regulations provides that the Regulations shall come into force on such date as may be notified by the Commission separately.

And, now, therefore, it is notified that the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2022 shall come into force with effect from 05.12.2022.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./368/2022-23]